



संख्या : / जी०एस० / शिक्षा / A3-85/2019

प्रेषक,

बृजेश कुमार संत,
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय,
नैनीताल।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय: उत्तराखण्ड

देहरादून: दिनांक 24 फरवरी, 2021

महोदय,

कृपया कुलपति के पत्र संख्या: 1814/केयू/मान्यता/सम्बद्धता/2019-20 दिनांक 04.08.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राजकीय आदर्श महाविद्यालय, देवीधुरा, चम्पावत को बी०ए० पाठ्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2020-21 से स्थायी सम्बद्धता का प्रस्ताव संस्तुति सहित उपलब्ध कराया गया है।

2- शैक्षिक सत्र 2020-21 हेतु अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्डल, कुलसचिव एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 (यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा-37 (2) के अन्तर्गत महाविद्यालय को निम्न तालिका के अनुसार उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता हेतु मा० कुलाधिपति द्वारा पूर्व स्वीकृति/पूर्वानुमोदन सत्र दर सत्र के आधार पर निम्नांकित उपबन्धों के साथ प्रदान किया गया है :-

क्रमांक	महाविद्यालय/संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता (कुलपति की संस्तुतिनुसार)	अस्थाई सम्बद्धता की अवधि
1	2	3	4	5
1.	राजकीय आदर्श महाविद्यालय, देवीधुरा, चम्पावत	बी०ए० (हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र)	80 सीट प्रति विषय	सत्र 2020-21

- (1) यू०जी०सी० विनियम व विश्वविद्यालय अधिनियम के अनुरूप छात्र हित में मानक पूर्ण कराने का उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय का होगा तथा जिन मानकों को पूर्ण कराने हेतु शासन स्तर से कार्यवाही अपेक्षित हो, इस सम्बन्ध में इस सचिवालय के पत्र संख्या: 2565 दिनांक 13 जनवरी, 2020 के क्रम में शासन से समन्वय स्थापित कर यथाशीघ्र आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
- (2) यू०जी०सी० विनियमों व उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियमानुसार उक्त महाविद्यालय को स्थायी सम्बद्धता के सम्बन्ध में फ़ैकल्टी की नियमित नियुक्ति एवं प्रत्यायन (NAAC) प्रमाण पत्र की कार्यवाही पूर्ण किये जाने के उपरान्त विचार किया जायेगा।
- (3) अग्रेत्तर सत्रों में सम्बद्धता हेतु यू०जी०सी० विनियम में निहित प्राविधानों तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप सम्बन्धित संस्थानों/महाविद्यालयों में समस्त मानक पूर्ण होने के उपरान्त ही प्रस्ताव मा० कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जायं।
- (4) निरीक्षक मण्डल की आख्या/कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय कार्यपरिषद यू०जी०सी० के विनियमों व नियामक संस्था के अनुसार समस्त मानक पूर्ण होने की दशा में सम्बद्धता आदेश निर्गत करें व तत्सम्बन्धी कार्रवाई की सूचना मा० कुलाधिपति जी के अवगतार्थ उपलब्ध करायें। तदनुसार अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(बृजेश कुमार संत)
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या : 3127 (1)/जी०एस०/शिक्षा/A3-85/2019 तददिनांकित।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
3. प्राचार्य, राजकीय आदर्श महाविद्यालय, देवीधुरा, चम्पावत।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु। (17)

आज्ञा से,

(जितेन्द्र कुमार सोनकर)
कुलाधिपति के अपर सचिव।